/

<u>कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1 स्टाफ रोड, सिकंदराबाद-09</u>

का.आ.भाग 2 सं. 427 दिनांक : 15.12.2014

<u>विषय</u> : वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन - रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (प्रशा0)

<u>संदर्भ</u> : इस कार्यालय का दि. 18.11.2014 का का.आ.भाग 2 सं. 380.

****

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियम, 1978 के नियम 14 के प्रावधानों के अधीन, **श्री बी. बाल जवाहर, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक** को मैं कार्यालय अध्यक्ष घोषित करता हूँ तथा दिनांक **15.12.2014 (पूर्वाह्न)** से उन्हें निम्नांकित सीमा तक शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

<u>प्रशासनिक शक्तियाँ</u> :

1. श्रेणी "ख" तथा "ग" के कर्मचारियों के संबंध में अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय अप्रयुक्त छुट्टी को भुनाने की मंज़ूरी (**भा.र.ले.से. अधि./व.ले.अ./ले.अ. के अलावा**) ।
2. श्रेणी "ख" तथा "ग" के कर्मचारियों के छु.या.रि. के प्रयोग के समय अर्जित छुट्टी को भुनाने की मंज़ूरी (भा.र.ले.से. अधि./व.ले.अ./ले.अ. के अलावा) ।
3. रक्षा लेखा विभाग के श्रेणी "ख" तथा "ग" (**भा.र.ले.से. अधि./व.ले.अ./ले.अ. के अलावा**) के कर्मचारियों को अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति पर वेतन तथा भत्तों का अनंतिम भुगतान प्राधिकृत करना । (केवल 6 महीनों की समयावधि के लिए) ।
4. श्रेणी "ख तथा "ग" के कर्मचारियों (**भा.र.ले.से. अधि./व.ले.अ./ले.अ. के अलावा**) को सी.जी.ई.आई.एस. का भुगतान ।
5. मृत सरकारी कर्मचारी (अनियत/दैनिक मज़दूरी वाले कर्मचारियों के अलावा) के परिवार को सरकारी आदेशों के अनुसार तात्कालिक सहायता प्रदान करना ।
6. इस कार्यालय द्वारा जारी दिनांक **28.11.2014** के का.आ. भाग 2 सं. **399** में **श्री बी. बाल जवाहर, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक** द्वारा उनको छुट्टी की मंज़ूरी के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा जिसके अधीन वे मुख्य कार्यालय और सिकंदराबाद/हैदराबाद/मेदक/सूर्यलंका में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों **[मुख्य कार्यालय और वे.ले.का. (अ.श्रे) ई.एम.ई., वे.ले.का. (अ.श्रे) सेना आयुध कोर, सिकंदराबाद, क्षे.ले.का. (थलसैना) विशाखापट्टणम् तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सेवारत** भा.र.ले.से., **अधिकारियों, व.ले.अ./ले.अ. के अतिरिक्त]** को छुट्टी मंज़ूर कर सकेंगे **[अर्जन-शोध्य छुट्टी के अलावा** तथा वे.ले.का. (अ.श्रे) ई.एम.ई., वे.ले.का. (अ.श्रे) से.आ.कोर और क्षे.ले.का. (थलसेना), विशाखापट्टणम् के कार्यालयाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अतिरिक्त]
7. **श्रेणी "ख" तथा "ग" के कर्मचारियों के निम्नांकित वैयक्तिक दावों को प्रतिहस्ताक्षरित करना तथा मंज़ूरी प्रदान करना :-**
   - (क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे
   - (ख) मुख्य कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन छु.या.रि. दावे तथा या.भ/दै.भ दावे (**भा.र.ले.से. अधिकारियों के अलावा**)
   - (ग) **भा.र.ले.से. अधिकारियों व.ले.अ/ले.अ.** के अलावा अन्य कर्मचारियों के सा.भ.नि. अंतिम आहरण दावे ।
   - (घ) सा.भ.नि. नियमों के नियम 12(2) के अधीन श्रेणी "ख", और "ग" के कर्मचारियों (**भा.र.ले.से. अधिकारियों व.ले.अ/ले.अ. के अलावा**) के सा.भ.नि. पेशगी दावों की मंज़ूरी ।

(ङ) केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन आने वाले रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को, के.स.स्वा.यो. द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए , चिकित्सा पेशगी मंजूर करना ।

(च) रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियमित तथा अनुपूरक वेतन बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करना । (**भा.र.ले.से. अधिकारियों के अलावा**)

(छ) संगठन में सेवारत श्रेणी "ख", और "ग" के कर्मचारियों को (**भा.र.ले.से. अधिकारियों के अलावा**) छु.या.रि. पेशगी की मंज़ूरी ।

(ज) भा.र.ले.से. अधिकारियों/व.ले.अ/ले.अ. के अलावा अन्य कर्मचारियों के शिक्षा शुल्क/सी.ई.ए. दावे ।

8. वेतन लेखा कार्यालय (अ.श्रे) ई.एम.ई.,वेतन लेखा कार्यालय (अ.श्रे) सेना आयुध कोर, सिकंदराबाद तथा क्षे.ले.का. (थलसेना), विशाखापट्टणम् के अतिरिक्त अन्य अधीनस्थ कार्यालयों तथा मुख्य कार्यालय में सेवारत कर्मचारियों को त्योहार पेशगी की मंज़ूरी ।

श्री बी. बाल जवाहर, भा.र.ले.से. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक को प्रत्यायोजित उपरोक्त वित्तीय शक्तियाँ तभी प्रयोग में लाई जा सकेंगी जब निधि उपलब्ध हों तथा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा हो ।

उपरोक्त के अतिरिक्त वे मामले जिकी मज़ूरी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं और जिन मामलों में कोई संदेह हो अथवा असामान्य स्थितियाँ हो या जहाँ पर नियमों में छूट की आवश्यकता हो, ऐसे मामले अधोहस्ताक्षरी को आदेशों हेतु प्रस्तुत किये जाएं । यह कार्यालय आदेश उपरोक्त विषय पर इससे पूर्व इस कार्यालय द्वारा जारी का.आ. भाग 2 को अधिक्रमिक करता है ।

हस्ता/-
(ए. विश्वेश्वर राव)
रक्षा लेखा नियंत्रक

मूलप्रति : सं. प्रशा/I/1042/जि.III

प्रतिलिपि :

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक, दिल्ली छावनी
2. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद
3. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (निधि), मेरठ
4. **श्री बी. बाल जवाहर, भा.र.ले.से. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक**
5. मुख्य कार्यालय के सभी ग्रूप अधिकारी, व.ले.अ./ले.अ
6. रक्षा लेखा नियंत्रक, आई टी एवं एस डी सी, सिकंदराबाद
7. प्रभारी रक्षा लेखा अपर नियंत्रक, वे.ले.का (अ.श्रे) ई.एम.ई. सिकंदराबाद-21
8. प्रभारी रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक, वे.ले.का (अ.श्रे) सेना आयुध कोर, सिकंदराबाद-15
9. प्रभारी व.ले.अ., ई.डी.पी. केंद्र, सिकंदराबाद - वेबसाइट के अद्यतनीकरण के लिए ।
10. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग ।
11. प्रभारी लेखा अधिकारी, प्रशा/I, प्रशा/II, प्रशा/III, प्रशा/वेतन (स्थानीय)
12. का.आ.भाग 2 फाइल/गार्ड फाइल
13. अतिरिक्त प्रतियाँ

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा०)